



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]
No. 329]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2004/चैत्र 11, 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2004/CHAITRA 11, 1926

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004

का.आ. 433(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (xi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेशों को उन बातों के सिवाय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से विखण्डित करती है जो ऐसे विखण्डन से पूर्व की गई हैं या किए जाने से लोप किया गया है, अर्थात् :—

1. भारत सरकार के तत्कालीन नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय का आदेश संख्या का.आ. 604(अ) तारीख 2 अगस्त, 1977 जिसके द्वारा "कापियों (एक्सरसाइज बुक्स)" को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया था।

2. भारत सरकार के तत्कालीन नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय का आदेश संख्या का.आ. 632(अ) तारीख 25 अगस्त, 1977 जिसके द्वारा "कोटनाशी, कवकनाशी, अपतृणनाशी और समरूप" को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया था।

[फा. सं. 15/2/2004-ईसीआरएंडई]

सतवंत रेड्डी, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****ORDER**

New Delhi, the 31st March, 2004

S.O. 433(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-clause (xi) of clause (a) of Section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the following Orders, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

1. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Civil Supplies and Cooperation number S.O. 604(E), dated the 2nd August, 1977 declaring "Exercise Books" as an essential commodity.
2. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Civil Supplies and Cooperation number S.O. 632(E), dated the 25th August, 1977 declaring "Insecticides, fungicides, weedicides and the like" as an essential commodity.

[F.No. 15/2/2004-ECR&E]

SATWANT REDDY, Addl. Secy.